क्रम-संख्या —270

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

उत्तर प्रदेश अधिनियम

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2439/सत्रह-वि-1–1(क)27/2001

लखनऊ, 06 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2001)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 8 जून, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 5 का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1995 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।

(1–क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पर भी लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे।

(1–ख) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा।"

निरसन और अपवाद

3— (1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी गारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995) अधिनियमित किया गया है। यद्यपि उक्त अधिनियम में आयोग के गठन और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि के उपबन्ध थे किन्तु उसमें उनकी अधिकतम आयु सीमा का, जब तक कि वे अपने-अपने पद धारण कर सकते थे, उपबन्ध नहीं था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष नियत करने और यह व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य जो पहले से 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, इस रूप में अपने पद पर बने न रहें।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जून, 2001 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

NO. 2439(2)/XVII–V–1—1(KA)27/2001

Dated Lucknow: October 6, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Anusuchit Jati Aur Anushuchit Janjati Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001:

THE UTTAR PRADESH COMMISSION FOR THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 29 of 2001)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled tribes (Amendment) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 8, 2001.

Amendment of section 5 of U.P. Act No. 16 of 1995

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:—

"(1) The Chairman, Vice-Chairman or every other Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office:

Provided that no Chairman, Vice-Chairman or other Member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years:

Provided further that the Chairman shall not be eligible for re-appointment as Member.

(1-A) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Act, 2001 shall apply also to the Chairman, Vice-Chairman and every other Member holding office immediately before the commencement of the said Act.

(1-B) The Chairman, Vice-Chairman or other Member, who has attained the age of sixty-five years, on or before the commencement of the Act referred to in sub-section (1-A), shall cease to hold office as such on such commencement."

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 12 of 2001

3. (1) The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinace referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, 1995 (U.P. Act no. 16 of 1995) has been enacted to establish Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the matters connected therewith and incidental thereto. The said Act through provided for the constitution of the Commission and term of office of its Chairman, Vice-Chairman and other members but it did not provide their maximum age limit till when they could hold then respective office. It was, therefore, decided to amend the said Act to fix as the maximum age of the Chairman, Vice-Chairman and the other members of the Commission as sixty five years and to provide that the Chairman, the Vice-Chairman or other members who have already attained the age of 65 years shall cease to hold their office as such.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative measure was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Ordinace, 2001 (U. P. Ordinace no. 12 of 2001) was promulgated by the Governor on June 8, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०–ए-पी० 442 राजपत्र—(1176)—2001—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए-पी० 180 सा० विधा०—(1177)—2001—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।